रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD NO D. L -33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 496] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 25, 2000/आश्विन 3, 1922
No. 496] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 25, 2000/ASVINA 3, 1922

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 2000

सा. का. नि. 745(अ).—केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पत्तन न्यासी मंडल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में कलकत्ता पत्तन न्यास कर्मचारी (गैर-अंशदायी भविष्य निधि) प्रथम संशोधन विनियम, 2000 का अनुमोदन करती है।

2. उक्त विनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

अनुसूची

कलकत्ता पत्तन न्यास कर्मचारी (गैर-अंशदायी भविष्य निधि) प्रथम संशोधन विनियम, 2000

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 28 तथा उसी अधिनियम की धारा 124 की धारा 1 के अंतर्गत केन्द्र सरकार की स्वीकृति से कलकत्ता पत्तन का न्यासी मंडल एतद्द्वारा कलकत्ता पत्तन न्यास कर्मचारी (गैर-अंशदायी भविष्य निधि) विनियम 1988 के संशोधन के लिए निम्नलिखित प्रावधान बनाता है।

1. संक्षिप्त नाम

ये विनियम कलकत्ता पत्तन न्यास कर्मचारी (गैर-अंशदायी भविष्य निधि) प्रथम संशोधन विनियम, 2000 के नाम से जाना जा सकेगा। यह भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।

2. कलकत्ता पत्तन न्यास कर्मचारी (गैर-अंशदायी भविष्य निधि विनियम), 1988 के अंतर्गत :—

(क) विनियम 15 का निर्धारण निम्न प्रकार से होगा :—

विनियम 15 : अंशदाताओं को अग्रिम

वरिष्ठ लेखा अधिकारी, वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी के अनुमोदन से किसी भी अंशदाता को अग्रिम प्रदान कर सकता है जो तीन महीने के वेतन राशि अथवा उसके निधि में जमा राशि के आधा राशि में जो भी कम हो, यह निम्नलिखित एक या अधिक उद्देश्य के लिए होगा :—

(क) अंशदाता तथा उसके पारिवारिक सदस्यों या उस पर वास्तव में आश्रित किसी व्यक्ति की बीमारी, प्रसूति या अक्षमता सहित यात्रा खर्च जहां आवश्यक हो के संदर्भ में भुगतान।

(ख) अंशदाता तथा उसी पारिवारिक सदस्यों या उस पर वास्तव में आश्रित किसी व्यक्ति के उच्च शिक्षा में होने वाले खर्च सहित जहां आवश्यक हो यात्रा खर्च के लिए निम्नलिखित मामलों में यथा :—

(i) भारत के बाहर शैक्षणिक, तकनीकी, पेशागत या व्यावसायिक पाठ्यक्रम हाई स्कूल स्तर से आगे तथा,

(ii) हाई स्कूल-स्तर से आगे भारत में मेडिकल, इंजीनियरिंग या अन्य तकनीकी या विशेष पाठ्यक्रम के लिए बशर्ते पाठ्यक्रम की अवधि तीन वर्ष से कम न हो।

(ग) आवश्यक खर्च का भुगतान जिसे अंशदायी प्रथागत अभ्यास के अनुसार अंशदाता को सगाई या विवाह अथवा अंत्येष्टि एवं अन्य उत्सवों के संबंध में खर्च करना पड़ता है।

(घ) अंशदाता या उसके पारिवारिक सदस्यों अथवा उस पर पूर्ण रूपेण आश्रित व्यक्ति द्वारा या उसके विरुद्ध किया गया विधिक कार्यवाही की खर्चों के लिए, इस मामले में अग्रिम इस मद में किसी अन्य सरकारी स्रोतों से देय अग्रिम के अतिरिक्त उपलब्ध होगा।

(ङ) किसी कार्यालयीन सदाचार का दोषी ठहराए जाने के विरुद्ध अंशदाता जांच में स्वयं के बचाव के लिए विधिक कार्यकर्त्ता को नियुक्त करने में हुए खर्चों के लिए।

(च) टी वी, वी सी आर/वी सी पी, वाशिंग मशीन, कुकिंगरेंज, गेसर्स, कम्पयूटर आदि जैसे वस्तुओं की खरीददारी के लिए

टिप्पणी 1 : इस विनियम में जहां देय है वेतन के साथ मंहगाई वेतन शामिल है।

टिप्पणी 2 : उस अंशदाता के मामले में जो अपने निलम्बन की अवस्था में अस्थायी अग्रिम के लिए आवेदन किया हो तथा वेतन के स्थान पर निर्वाह भत्ता प्राप्त करता हो, इस विनियम के अनुसार वेतन वह होगा जो वह अपने निलंबित होने के शीघ्र पूर्व उठाया हो।

टिप्पणी 3 : इस विनियम के अधीन जब किसी अंशदाता को पहले ही अग्रिम की मंजूरी दे दी गयी हो, तब भी उसे इस विनियम के अधीन परवर्ती अग्रिम की मंजूरी दी जा सकती है यद्यपि पुराना अग्रिम पूर्ण रूप से नहीं भी चुकाया गया हो, परन्तु फिर भी, बाद के मंजूर अग्रिम में से पुराना अग्रिम का बकाया काट लिया जाएगा।

टिप्पणी 4 : अध्यक्ष, विशेष परिस्थितियों में अंशदाता को अग्रिम भुगतान का अनुमोदन कर सकता है यदि वह आश्वस्त हो कि संबंधित अंशदाता को विनियम 15 में वर्णित कारणों से भिन्न कारण के लिए अग्रिम की आवश्यकता है।

(ख) विनियम 18 को निम्नलिखित द्वारा विस्थापित किया जाएगा :-

विनियम 18 :

अप्रत्यर्पणीय निकासी

अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की मंजूरी से अंशदाता को किसी भी समय निकासी की स्वीकृति दी जा सकती है :—

(क) कोई भी अंशदाता जिसकी सेवा 15 वर्ष हो चुकी हो या, उसके/उसकी अधिवर्षिता पर सेवा निवृत्ति से पहले 1 वर्ष के भीतर, जो भी पहले हो, निधि में संचित राशि से निकासी की मंजूरी निम्नलिखित प्रयोजनों में से एक या अधिक के लिए दी जायेगी।

(क) अंशदाता या अंशदाता के संतान का यथावश्यक यात्रा खर्च सहित उच्च शिक्षा पर होने वाले खर्च के लिए निम्नलिखित मामलों में यथा :—

(i) भारत के बाहर बारहवीं स्तर से आगे की शैक्षणिक, तकनीकी, पेशागत या व्यावसायिक पाठ्यक्रम की शिक्षा के लिए।

(ii) भारत के बाहर हाई स्कूल स्तर से आगे की किसी मैडिकल, इंजीनियरिंग या अन्य किसी तकनीकी या विशेष पाठ्यक्रम के लिए,

(ख) अंशदाता या उसके पुत्रों या पुत्रियों और उस पर आश्रित किसी अन्य महिला के सगाई/विवाह में होने वाले खर्च के लिए,

(ग) अंशदाता तथा उसके पारिवारिक सदस्य या उस पर आश्रित कोई व्यक्ति का यथावश्यक यात्रा खर्च सहित बीमारी पर होने वाले खर्च के लिए;

(घ) टीवी, वीसीआर/वीसीपी, वाशिंग मशीन, कुकिंग रेंज, गेसर्स, कम्प्यूटर आदि जैसी वस्तुओं पर होने वाले खर्च के लिए

(ख) अंशदाता के सेवा के दौरान उसके निधि में जमा राशि निम्नलिखित प्रयोजनों में से एक या अधिक के लिए यथा :—

(क) मकान या उसके आवास के लिए उपयुक्त गृह या बना बनाया फ्लैट जिसमें गृह स्थान की लागत शामिल है या स्टेट हाऊसिंग बोर्ड या हाऊस बिल्डिंग सोसाइटी द्वारा निर्गत फ्लैट या भूखंड के मद में भुगतान।

(ख) स्पष्टरूप से अपने निवास के लिए भवन निर्माण या उपयुक्त मकान का अर्जन या बना बनाया फ्लैट के लिए लिए गये ऋण की चुकौती,

(ग) अपने निवास के लिए मकान बनाने के लिए गृह की खरीद या इसी प्रयोजन हेतु लिए गये ऋण के कारण किसी बकाए की चुकौती,

(घ) अंशदायी का मकान या फ्लैट जो पहले से हो या अर्जित हो, के पुनर्निर्माण या योग या परिवर्तन,

(ङ) पैतृक भवन की मरम्मत, योग या परिवर्तन या रखरखाव या ऐसा मकान जो सहायता या ऋण से बनाया गया हो,

(च) खण्ड (ग) के अंतर्गत खरीदी गई जमीन पर भवन निर्माण।

(ग) अंशदायी की निवृत्ति या निवर्तन की तिथि से बारह महीने के भीतर उसकी निधि में जमा राशि से, अन्य प्रयोजन से संबद्ध किए बिना,

टिप्पणी 1 : खण्ड (ख) के उपखण्ड (क), (घ), (ङ) या (च) के अंतर्गत निकासी की मंजूरी अंशदायी द्वारा बनाए जाने वाले भवन या उसमें योग या परिवर्तन से संबंधित नक्शा उस क्षेत्र के स्थानीय नगर निकाय, जिसके अंतर्गत वह जमीन या भवन स्थित है, द्वारा विधिवत अनुमोदित हो, और केवल उसी मामले में जिसमें नक्शे को वास्तविक रूप से अनुमोदित किया है, के प्रस्तुत करने के बाद ही,

टिप्पणी 2 : खंड (ख) के उपखंड (ख) के अंतर्गत मंजूर निकासी राशि आवेदन की तारीख को उपखंड (ख) के अंतर्गत पूर्व निकासी राशि सहित शेष का 3/4 से अधिक न हो, पूर्व निकासी राशि को घटा दिया जाये। संबंधित भवन के लिए मान्य सूत्र उस तारीख को शेष धन पूर्व निकासी राशि का 3/4 हैं।

टिप्पणी 3 : खंड (ख) के उपखंड (क) या (घ) के अंतर्गत भी निकासी मंजूर दी जायेगी, जबकि भवन स्थल या भवन पत्नी या पति के नाम हो, बशर्ते कि वह या पत्नी अंशदायी के नामांकन में भविष्य निधि की प्राप्ति सूची में प्रथम नामित व्यक्ति हो।

टिप्पणी 4 : इस विनिमय के अंतर्गत इस प्रयोजन के लिए केवल एक ही निकासी की अनुमति दी जायेगी। लेकिन विवाह, विभिन्न बच्चों की शिक्षा या समय-समय पर बीमारी या मकान या फ्लैट में विस्तार या परिवर्तन जो कि नये नक्शे द्वारा विधिवत् उस क्षेत्र जहाँ मकान या फ्लैट स्थित हैं, के स्थानीय नगर निकाय द्वारा अनुमोदित हो, को समप्रयोजन के रूप में नहीं लिया जायेगा। उसी भवन के पुन: निर्माण के लिए खंड (ख) के उपखंड (क) या (च) के अंतर्गत द्वितीय या परवर्ती निकासी के लिए टिप्पणी-2 के अंतर्गत निर्धारित सीमा तक अनुमति दी जाएगी।

टिप्पणी 5 : इस विनियम के अंतर्गत कोई निकासी मंजूर नहीं की जायेगी, यदि उसी प्रयोजन और उसी समय के लिए विनियम 15 के अंतर्गत किसी अग्रिम की मंजूरी हो रही हो।

अप्रतवर्षनय निकासी की शर्तें

(i) विनियम 18 में निर्धारित प्रयोजन के एक या अधिक के लिए अंशदायी द्वारा किसी एक बार निकाली जाने वाली कोई राशि निधि में उसके नामें जमा शेष का 75 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, खंड (क) के अंतर्गत निकासियों के मामले में तथा विनियम 18 के खंड (ख) के अंतर्गत निकासी के मामले में निधि में उसके नामे जमा राशि का 90 प्रतिशत।

(ii) विनियम 18 ग के अंतर्गत स्वीकार्य निकासी निधि में अंशदायी के नामे जमा राशि का 90 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(iii) विनियम 18 के अंतर्गत अंशदायी जिसे निधि से निकासी की अनुमति प्रदान की गयी है, को खंड (क) के अंतर्गत निकासी के मामले में तीन महीने की अवधि के भीतर तथा खण्ड (ख) के अंतर्गत छ: महीने के भीतर मंजूरी अधिकारी को संतुष्ट करना होगा कि जिस प्रयोजन के लिए राशि ली गयी थी, उसका उपयोग उसी प्रयोजन के निमित किया गया है, या भवन-निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है और वह अगर ऐसा नहीं करता है तो उसे निकासी की सम्पूर्ण राशि या उस संबंध में जितना है, जैसा कि उसने उस प्रयोजन के लिए आवेदन ही नहीं किया, जिसके लिए निकासी की गयी थी, अंशदायी द्वारा निधि में तुरन्त एक मुश्त में लौटाना होगा और उसे चुकाने में चूक जाने पर उसके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाही की जाएगी ।

(iv) विनियम 18 के खंड (ख) के उपखंड (क) या उप खंड (ख) या उपखंड (ग) के अंतर्गत कोई अंशदायी जिसे अपने निधि में जमा या राशि से निकासी की अनुमति मिली हो, और वह उसी निकासी की रकम से (मंजूरी अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना) निर्मित भवन या अर्जित या भवन-स्थल की खरीद की है, चाहे बिक्री के रूप में, गिरवी (कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट प्राधिकारी से भिन्न), उपहार, या विनियम, या अन्य।

परन्तु निम्नलिखित के लिए ऐसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी :

(i) भवन या भवन-स्थल जो पट्टे पर हो तथा जिसकी अवधि तीन वर्ष से अधिक न हो, या

(ii) यह हाउसिंग बोर्ड, राष्ट्रीयकृत बैंक, जीवन बीमा निगम या कोई भी निगम जो केन्द्रीय सरकार का हो या उसके नियंत्रण में हो, जो वर्तमान भवन में योग या परिवर्तन के लिए अग्रिम, नये भवन के निर्माण के लिए ऋण देते हैं।

(v) अंशदायी हर वर्ष के 31 दिसंबर तक इस आशय की घोषणा प्रस्तुत करेगा कि भवन या भवन-स्थल जो भी हो उसके कब्जे में है या गिरवी रखा है अन्यथा हस्तांतरित या किराए पर दिया हुआ है, यदि वैसी आवश्यकता पड़ी और तब उस संबंध में निर्धारित तारीख को या उससे पहले ही मंजूरी प्राधिकारी के सामने, उस बिक्री, गिरवी या पट्टा डीड तथा वह दस्तावेज जिसके आधार पर उस सम्पत्ति पर उसका हक प्रस्तुत करेगा ।

(vi) अपनी निवृत्ति से पहले किसी भी समय यदि अशंदायी भवन या भवन-स्थल के कब्जे से मजूंरी अधिकारी के पूर्व अनुमति के बिना अलग होता है तो उसे निधि में तुरंत एक मुश्त राशि में जिसे वह लिया है लौटाना होगा। और चुकौती में चूक करने पर उसके विरुद्ध अनुशंसन की कार्रवाई की जायेगी। विनियम 18 (ख) के अंतर्गत निकासी के लिए अंशदायी भविष्य निधि विनियम का ब्यौरा परिशिष्ट-I पर संलग्न हैं (अमुद्रित)।

(ग) विनियम 17 हटा दिया जायेगा ।

[फा. सं. पी आर -12016/5/98-पी ई-I]

के.वी. राव, संयुक्त सचिव

नोट :—दी कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (अंशदायी भविष्य निधि) विनियम 1988 केन्द्रीय सरकार द्वारा मंजूर किया गया है — देखिए सा.का.नि. सं. 667 (अ) दिनांक 1 जून, 1988 तथा भारत के राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 1 जून, 1988 को प्रकाशित।

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th September, 2000

G.S.R. 745(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (i) of Section 124, read with Sub-section (i) of Section 132 of the Major Ports Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Calcutta Port Trust Employees (Non-Contributory Provident Fund) 1st Amendment Regulation, 2000 made by the Board of Trustees for the Port of Calcutta and set out in the Schedule annexed to this notification.

2. The said regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

SCHEDULE

Calcutta Port Trust Employees' (Non-Contributory Provident Fund) 1st Amendment Regulations, 2000

In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 and with the sanction of Central Government under Section 1 of Section 124 of that Act, the Board of Trustees for the Port of Calcutta hereby makes the following

provisions for amendment of the Calcutta Port Trust Employees' (Non-contributory Provident Fund) Regulations, 1988.

1. **Short title:**

These regulations maybe called the Calcuta Port Trust Employees' (Non-contributory Provident Fund) 1st Amendment Regulations, 2000. This will come into force from the date of publication in the Official Gazette.

2. In the Calcutta Port Trust Employees' (Non-contributory Provident Fund Regulations), 1988:-

a) Regulation 15 shall be substituted by the following:-

Regulation 15 : Advances to Subscribers.

The Senior Accounts Officer may, with the approval of Financial Adviser & Chief Accounts Officer grant advance to any subscriber a sum of whole rupees and not exceeding in amount three months' pay or half the amount standing to his credit in the Fund, whichever is less, for one or more of the following purposes :-

(a) to pay expenses in connection with the illness, confinement or a disability, including, where necessary, the travelling expenses of the subscriber and members of his family or any person actually dependent on him;

(b) to meet cost of higher education, including, where necessary, the travelling expenses of the subscriber and members of his family or any person actually dependent on him in the following cases, namely :-

(i) for education outside India for academic, technical, professional or vocational course beyond the High School stage and

(ii) for any medical, engineering or other technical or specialised course in India beyond the High School stage, provided that the course of study is for not less than three years;

(c) to pay obligatory expenses on a scale appropriate to the subscriber's status which by customary usage the subscriber has to incur in connection with betrothal or marriages funerals or other ceremonies;

(d) to meet the cost of legal proceedings instituted by or against the subscriber, any member of his family or any person actually dependent upon him, the advance in this case being available in addition to any advance admissible for the same purpose from any other Government source.

(e) to meet the cost of the subscriber's defence where he engages a legal practitioner to defend himself in an enquiry in respect of any alleged official misconduct on his part.

(f) to purchase consumer durables such as TV,VCR/VCP, washing machines, cooking range, geysers, computers etc.

Note-1. For the purpose of this regulation pay includes dearness pay where admissible.

Note-2. In the case of a subscriber who applies for a temporary advance while he is under suspension and draws subsistence allowance instead of pay, the 'pay' for the purpose of this regulation shall be that which he drew immediately before he was placed under suspension.

Note-3. When an advance has already been granted to a subscriber under this regulation, a subsequent advance may be granted to him/her under this Regulation even though the previous advance may not have been repaid in full, provided, however, that the unpaid balance of the previous advance shall be deducted from the advance subsequently granted.

Note-4 The Chairman may, in special circumstances, sanction the payment to any subscriber of an advance if he is satisfied that the subscriber concerned requires the advance for reasons other than those mentioned under Regulation 15.

b) Regulation 18 shall be substituted by the following:-

Regulation 18 : **Non - refundable withdrawals.**

Subject to the sanction of the Chairman or Deputy Chairman withdrawals may be granted to a subscriber at any time -

(A) After the completion of fifteen years of service (including broken periods of service, if any) of a subscriber or within ten years before the date of his retirement on superannuation, whichever is earlier, from the amount standing to his credit in the Fund, for one or more of the following purposes, namely -

(a) meeting the cost of higher education, including, where necessary the travelling expenses of the subscriber or any child of the subscriber in the following cases, namely -

(i) for education outside India for academic, technical, professional or vocational course beyond the High School stage ; and

(ii) for any medical, engineering or other technical or specialised course in India beyond the High School stage ;

(b) meeting the expenditure in connection with the betrothal/marriage of the subscriber or his sons or his daughters, and any other female relation actually dependent on him ;

(c) meeting the expenses in connection with the illness, including, where necessary, the travelling expenses of the subscriber and members of his family or any person actually dependent on him ;

(d) meeting the cost of consumer durables such as TV,VCR/VCP, Washing Machines, Cooking Range, Geysers, Computers, etc.

(B) During the service of a subscriber from the amount standing to his credit in the Fund for one or more of the following purposes, namely -

(a) building or acquiring a suitable house or ready-built flat for his residence including the cost of the site or any payment towards allotment of a plot or flat by State Housing Board or a House Building Society ;

(b) repaying an outstanding amount on account of loan expressly taken for building or acquiring a suitable house or ready-built flat for his residence ;

(c) purchasing a house-site for building a house thereon for his residence or repaying any outstanding amount on account of loan expressly taken for this purpose ;

(d) reconstructing or making additions or alterations to a house or a flat already owned or acquired by a subscriber ;

(e) renovating, additions or alterations or upkeep of the ancestral house or a house built with the assistance or loan ;

(f) constructing a house on a site purchased under Clause (C).

(C) Within twelve months before the date of subscriber's retirement or superannuation from the amount standing to the credit in the fund, without linking to any purpose.

Note-1 Withdrawal under sub-clause (a), (d), (e) or (f) of Clause (B) shall be sanctioned only after a subscriber has submitted a plan of the house to be constructed or of the additions or alterations to be made, duly approved by the local municipal body of the area where the site or house is situated and only in cases where the plan is actually got to be approved.

Note-2 The amount of withdrawal sanctioned under sub-clause (b) of Clause (B) shall not exceed 3/4th of the balance on date of application together with the amount of previsous withdrawal under sub-clause (b), reduced by the amount of previsous withdrawal. The formula to be followed is 3/4th of (the balance as on date plus amount

of previous withdrawal(s) for the house in question) minus the amount of the previous withdrawal(s).

Note-3 Withdrawal under sub-clause (a) or (d) of Clause (B) shall also be allowed where the house-site or house is in the name of wife or husband provided she or he is the first nominee to receive Provident Fund money in the nomination made by the subscriber.

Note-4 Only one withdrawal shall be allowed for the same purpose under this regulation. But marriage or education of different children or illness on different occasions or a further addition or alteration to a house or flat covered by a fresh plan duly approved by the local municipal body of the area where the house or flat is situated shall not be treated as the same purpose. Second or subsequent withdrawal under sub-clause (a) or (f) of Clause (B) for completion of the same house shall be allowed upto the limit laid down under Note-2.

Note-5 A withdrawal under this regulation shall not be sanctioned if an advance under Regulation 15 is being sanctioned for the same purpose and at the same time.

Conditions for Non-refundable withdrawal :

(I) Any sum withdrawn by a subscriber at any one time for one or more of the purpose specified in Regulation 18 shall not exceed 75% of the balance at his credit in the fund in case of withdrawals under Clause (A) and 90% of the balance at his credit in the fund in case of withdrawals under Clause (B) of Regulation 18.

(II) The withdrawal admissible under Regulation 18C shall not exceed 90% of the amount standing to the credit of the subscriber in the fund.

(III) A subscriber who has been permitted to withdraw money from the Fund under Regulation 18 shall satisfy the sanctioning authority within a period of 3 months in case of withdrawals under Clause (A) and 6 months in case of withdrawals under Clause (B) that the money has been utilised for the purpose for which it was withdrawn or the construction of the house has been commenced and if he fails

to do so the whole of the sum so withdrawn or so much thereof as has not been applied for the purpose for which it was withdrawn shall forthwith be repaid in one lump sum by the subscriber to the Fund and in default of such payment, the subscriber will be liable for disciplinary action.

(IV) A subscriber who has been permitted under sub-clause (a) or sub-clause (b) or sub-clause (c) of Clause (B) of Regulation 18 to withdraw money from the amount standing to his credit in the Fund, shall not part with the possession of the house built or acquired or house-site purchased with the money so withdrawn, whether by way of sale, mortage (other than mortage to the Calcutta Port Trust Authority), gift, exchange or otherwise, without the previous permission of the sanctioning Authority.

Provided that such permission shall not be necessary for -

(i) the house or house-site being leased for any terms not exceeding three years, or

(ii) its being mortgaged in favour of a Housing Board, Nationalised Banks, the Life Insurance Corporation or any other Corporation owned or controlled by the Central Government which advances, loans for the construction of a new house or for making additions or alteration to an existing house.

(V) The subscriber shall submit a declaration not later than 31st day of December of every year as to whether the house or the house-site, as the case may be, continues to be in his possession or has been mortgaged otherwise transferred or let out as aforesaid and shall, if so required, produce before the sanctioning authority on or before the date specified by that authority in that behalf, the original sale, mortgage or lease deed and also the documents on which his title to the property is based.

(VI) If, at any time before his retirement, the subscriber parts with the possession of the house or house-site without obtaining the previous permission of the Sanctioning Authority, he shall forthwith repay the sum so withdrawn by him in a lumpsum to the Fund, and in default of such repayment, the subscriber shall be liable for disciplinary action. The detailed procedure for withdrawal under Regulation 18(B) is annexed as Appendix-I(Not printed) of Non-Contributory Provident Fund Regulation.

c) Regulation 19 shall be deleted.

[F. No. PR-12016/5/98-PEI]
K. V. RAO, Jt. Secy

Note:- The Calcutta Port Trust Employees' (Non-contributory Provident Fund) Regulations, 1988 were sanctioned by the Central Government vide G.S.R. No.667(E) dated 1st June, 1988 and published in the Gazette of India (Extraordinary) dated 1st June, 1988.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054—2000